मूल्य 500/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर–*शहडोल एवं मंडला मार्ग पर*
साँची दूध परिवहनकर्त्ता नियुक्ति के लिये
द्विवर्षीय अनुबंध हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2019–21

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर
कस्टमर केयर नं.– 9406900500
E-mail : jdssanchi@gmail.com.

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी प्लांट करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर
कस्टमर केयर नंबर– 9406900500, E,mail- www.jdssanchi@gmail.com.

क. ———————— /जेएसडीएस/विप.–65/2019 जबलपुर दिनांक ————————

ई–निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर संयंत्र से शहडोल एवं जबलपुर संयंत्र से मंडला तक साँची ब्रांड दूध परिवहन हेतु इंसुलेटेड वाहन द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये परिवहनकर्त्ता नियुक्त करने के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in से रू. 500/– का ऑन लाईन भुगतान क्रय किये जा सकते हैं। साथ ही ईएमडी राशि रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से फार्म भरने के साथ ऑन लाईन भुगतान करनी होगी। निविदा/ऑफर के साथ रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) के ऑन लाईन भुगतान की पावती जमा करनी होगी तथा भौतिक रूप से निविदा दिनांक 25.03.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा होना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी के निविदा/ऑफर मान्य नहीं होगी। दिनांक 26.03.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे जबलपुर मुख्यालय पर खोली जावेगी। विस्तृत जानकारी के लिये मोबाईल नंबर 8269027564 पर संपर्क कर सकते है। किसी भी प्राप्त भाव/ऑफर को पूर्ण या आंशिक रूप स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा संबंधी शर्ते एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर

करौंदा, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर
(फोन नं. 0761-6499627, 2353051, फैक्स-0761-2353150)
E.mail-www.jdssanchi@gmail.com.

परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	–	25.03.2019 दोपहर 3:00 बजे
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय	–	26.03.2019 दोपहर 3:00 बजे
3. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	–	रू. 20000/–(रू. बीस हजार) (ऑन लाईन जमा)
4. निविदा खोलने का स्थान	–	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित करौंदा, इमलिया, जबलपुर
5. ठेके हेतु " तकनीकी अर्हताऐं "का प्रारूप	–	प्रपत्र 01
6. ठेके के सामान्य शर्ते		प्रपत्र 02
7. " भाव पत्र/दरें " प्रस्तुत करने का प्रारूप	–	प्रपत्र 03
8. अनुबंध प्रारूप	–	प्रपत्र 04
9. मार्ग की दूरी जबलपुर से शहडोल	–	460 कि.मी. आना–जाना
आवश्यक वाहन	–	टाटा 709 या समकक्ष
10. मार्ग की दूरी जबलपुर से मंडला	–	300 कि.मी. आना–जाना (स्थानीय वितरण सहित)
11. आवश्यक वाहन	–	महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष।

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र 01 " तकनीकी अर्हताऐं " का तथा प्रपत्र 02 " निविदा की शर्ते " एवं अनुबंध प्रपत्र क्र. 04 पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 " तकनीकी अर्हताऐं " लिखा जावे।
- प्रपत्र 03 "भाव पत्र/दरें" पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर "भाव पत्र/दरें" लिखा जावे।
- उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जावें।
- निविदा प्रपत्र कमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

प्रपत्र क्र.–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

विषयः डेयरी संयंत्र, जबलपुर से शहडोल एवं मंडला मार्ग हेतु परिवहनकर्त्ता के लिये तकनीकी जानकारी बावत्।

महोदय,

साँची दूध परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु दिनांक ––––––––– को –––––––––– में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑन लाईन जमा की पावती क्र. –––––––––– दिनांक ––––––– संलग्न कर रहा हूँ अथवा जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय में रसीद क्र. ––––––– दिनांक –––– से नगद जमा की है।

तकनीकी अर्हताऐं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	टेक्नीकल बिड में सफल होने के लिये निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्नीकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्नीकल बिड निरस्त की जावेगी।	बिन्दु क्र. 5 से 11 का तक दस्तावेज संलग्न रें।
.3.	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		निविदाकार का परिचय व संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र को पूर्ण भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपराईटर द्वारा

			स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटर शिप) की स्थिति में (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत) भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनर शिप एक्ट के अन्तर्गत एवं कंपनी की स्थिति में कंपनी के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।	निविदाकार स्वामित्व प्रोपराईटर शिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनर शिप एक्ट के अन्तर्गत एवं कंपनी की स्थिति में कंपनी के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–प्रत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।	
5.	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि प्रति मार्ग के मान से ऑन लाईन जमा होना चाहिये।		तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि जमा हो।
6.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		छायाप्रति/आवेदन में संलग्न करें।
7.	उपलब्ध वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें।
8.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
9.	जी.एस.टी. नंबर		छायाप्रति/आवेदन में संलग्न करें।
10.	वारिस का नाम एवं उनसे संबंध		वारिस का नाम का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
11.	वाहन का प्रकार – 1. जबलपुर–शहडोल 2. जबलपुर–मंडला	टाटा 608 या समकक्ष महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष।	

नोटः– 1. उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2. तकनीकी अहताओं संबंधी प्रपत्र क्रमांक 1, निविदा की शर्ते प्रपत्र क्रमांक–2 एक साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र 3 एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों की निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
3. उपरोक्त 8 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ————————————————
नामः– ————————————————
पताः– ————————————————
टेलीफोन नंबर ————————————————

मोबाईल नंबर ———————————————

प्रपत्र क्र.–2

साँची दूध परिवहनकर्त्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते

1. निविदाकार यदि स्वयं प्रोपराईटर है तो को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थो के वितरण/परिवहनकर्त्ता का अनुभव होना चाहिये तथा परिवहनकर्त्ता का अनुभव रखने वाली पार्टियों को वरीयता दी जावेगी।
3. निविदाकार के पास स्वयं का इंसुलेटेड वाहन होना आवश्यक है। यदि स्वयं के वाहन में इंसुलेटेड बाडी नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 30 दिन में इंसुलेटेड बाडी बनवाकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रबंध पक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा दुग्ध परिवहन हेतु इंस्युलेटेड वाहन वर्ष 2011 या उसके बाद पंजीकृत वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. परिवहनकर्त्ता नियुक्त किया जाना है। इसके लिये निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो, आई.डी. प्रूफ लगाना एवं मार्गवार सूची में दर्शायी गई ई.एम.डी. राशि रूपये 20000/— प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन जमा की पावती लगाना अनिवार्य है। जिसके आभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। एक निविदाकार द्वारा एक से अधिक मार्गो हेतु निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु सभी के साथ पृथक–पृथक ई.एम. डी. राशि जमा करना अनिवार्य है।
5. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि रू. 150000/— प्रति मार्ग संघ में जमा करना अनिवार्य है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो ऑनलाईन जमा की गई ईएमडी राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
8. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
9. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार रू. 1000/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
10. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। अतः दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अक्षरों में लिखी दर को अंतिम माना जावेगा।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
12. निविदाकार/आवेदक दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दर पर समस्त कर सहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्त्ता को स्वीकृत परिवहन दर में समानुपातिक रूप से दिया जावेगा।

13. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़कर समझ लें।

14. परिवहनकर्त्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रू. 150,000/– (एक लाख पचास हजार मात्र) प्रति मार्ग डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।
15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्त्ता को कार्य अवधि दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता को कार्य दो वर्षो में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
16. निविदा अवधि (आगामी दो वर्ष) के दौरान वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग प्राप्त होने पर परिवहनकर्त्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था करनी होगी जिसका संघ द्वारा पृथक भुगतान दिया जावेगा।
17. निविदाकार को कार्य आवंटनोपरांत प्रतिदिन दूध ले जाने वाली क्रेटों को अगले वापस लाना अनिवार्य होगा। यदि एक दिन की औसत सप्लाई में प्रयुक्त क्रेटों की संख्या से अधिक क्रेटें मार्ग पर लंबित रहती हैं तो लंबित क्रेटों की धनराशि वर्तमान क्रय दर के आधार पर परिवहन देयकों से कटौत्रा की जावेगी। एक बार कटौत्रा की गयी राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यदि पद्धति निरंतर प्रभावशील रहेगी।
18. निविदाकार द्वारा प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
19. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर निविदा को निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंधन द्वारा निर्णय लिये जाने पर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
20. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुबंध का पालन समय सीमा में करना होगा। आवश्यक लाईसेंस बनवाना होगा।
21. आवेदकर्त्ताओं द्वारा यदि पूर्व में निविदा अन्तर्गत नगद भुगतान एम.आर. अथवा डी.डी. जमा की गई है तो उसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जो कि वर्तमान निविदा में मान्य की जावेगी।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवनकर्त्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हैं/हूँ। निविदा में दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा निविदा में दी गई जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्र. 01 से 21 तक वर्णित शर्तो का पालन नहीं करता है/हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क.–3

भाव पत्र/दरें

नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नामः ———————————————————
2. शैक्षणिक योग्यताः ———————————————————
3. पिता का नामः ———————————————————
4. पत्र व्यवहार का पता (प्रमाण सहित) : ———————————————————
———————————————————————————————

दूरभाष क्र. ——————————— मोबाईल क्र.———————————

पेन कार्ड नंबर ———————————————————

5. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनर ———————————————————

शिप है तो पार्टनर शिप फर्म ———————————————————

पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है।

(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) ———————————————————

6. वर्तमान व्यवसाय : ———————————————————
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (दस्तावेजी प्रमाण पत्र संलग्न करें) —————
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता क्रं.——————————— चल/ अचल संपत्ति का ब्यौरा

——————————— बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि ———————————

गत वर्ष आयकर का विवरण ———————————————————

———————————————————————————————

9.. वाहन व्यवस्था (स्वयं का वाहन होना आवश्यक है) वाहन के पंजीयक की छायाप्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें ———————————————————

———————————————————————————————

10. धरोहर राशि हेतु ऑन लाईन भुगतान पावती —————दिनांक——— रू

————संलग्न है।.

11 मेरे द्वारा जबलपुर डेयरी संयंत्र से जबलपुर–शहडोल/जबलपुर–मंडला मार्ग पर इंसुलेटेड वाहन से दूध परिवहन करने एवं क्रेट वापसी की दरें निम्नानुसार हैं :

क्र.	दूध वितरण व्यवस्था	इंसुलेड वाहन से दुग्ध परिवहन करने की दर प्रति किलोमीटर	
	डेयरी संयंत्र, जबलपुर से निम्नलिखित मार्ग में दूध परिवहन एवं क्रेट वापसी दरें रू./किमी.	अंको में	शब्दों में
1.	जबलपुर–शहडोल मार्ग	ऑनलाईन	ऑनलाईन
2.	जबलपुर–मंडला मार्ग	ऑनलाईन	ऑनलाईन

दिनांक ——————————   आवेदक के हस्ताक्षर ————————

पूरा नाम ————————————————

प्रपत्र क्र.–4

दूध परिवहन हेतु अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक ....को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर एवं श्री/मेसर्स ————————————————द्वितीय पक्ष जिन्हें आगे ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तो के के अधीन दुग्ध संघ व परिवहकर्त्ता र्का संपादित करेंगे :–

ठेकेदार द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर मुख्य संयंत्र से शहडोल मार्ग पर सभी केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर मुख्य संयंत्र तक परिवहन करने के वास्ते अपने वाहन क्र. .... से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु आवेदन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे अनुबंध एवं शर्तो पर संविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रू. .... प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् ठेकेदार को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ की किसी भी तरह की न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो उस दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस ठेकेदार का कार्य छोडने बावत् देना होगा।

2. यह कि ठेकेदार को निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर इंसुलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। ऐसे मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी और आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जो ठेकेदार को बंधनकारी होगी एवं मार्ग की स्वीकृत दूरी में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन निर्धरित दूरी से ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
3. यह कि निविदा द्वारा स्वीकृत दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय दूध की क्रेटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व केन आदि वापस लेकर जबलपुर डेयरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।

4. (अ) ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त किया जाना है, उतने ही क्रेटस रिटर्न लाते समय डेयरी से वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिये अन्यथा जितने क्रेटस कम वापस किये जावेंगे उतने ही क्रेंटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री ठेकेदार को चालान में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इसी प्रकार वापिस (रिटर्न) आने वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी के प्लान्टों, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले चालक तथा नियुक्त कर्मचारियों के नाम तथा फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण मेन शीट में वाहन के ओन के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाडी बिगड जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाडी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। एक से अधिक बार इस प्रकार की घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।

6. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट–फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।

7. यह कि ठेकेदार हर पखवाडे में एक दिन कार्यालय आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी जो ठेकदार को मान्य होगी।

8. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध, दूध के पैकेटस व क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार में पाँच गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

9. यह कि ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेटस/केन लायेंगे एवं दुग्ध चालान की प्रविष्ठियों में किसी प्रकार की काटा–पीटी नहीं करेंगे। ना ही दूध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/ बढायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदान होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे, ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगना कीमत वसूल की जावेगी।

11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर से किसी प्रकार की गडबडी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाँच करेंगे तथा यदि प्रथम दृष्ट्या दूध, दुग्ध संघ की प्रयोगशाला के परीक्षण में अपमिश्रित पाया जाता है तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर डेरी का होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12. यह कि ठेकेदार के कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

13. यह कि ठेकेदार एवं ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी प्रकार संघ के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी को तुरंत हटा देना होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका अनुबंध तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

14. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में ठेकेदार के अटेन्डेंट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को संपन्न करवायेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पडताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

15. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाडी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाडी में पाये गये तो परिहवनकर्ता से रूपये 25/– (रूपये पच्चीस मात्र) प्रति व्यक्ति दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थियों में यदि वाहन निर्धारित समय से 15 मिनिट तक अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।

16. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रू. 100/– प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में बिल से कटौत्रा किया जावेगा।

17. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा ।

18. यह कि परिवहनकर्त्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी शीट चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार सौ गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

19. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार करेगा उसकी संपूर्ण जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर, डेयरी जबलपुर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध या दुग्ध पदार्थ से भरी क्रेटों के साथ किसी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को नहीं ले जा सकेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों का पूर्ण परिवहन देयक निरस्त किये जायेंगे तथा बार–बार इसकी पुनर्रावृत्ति होने पर कार्य निरस्त किया जा सकता है।

21. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तारीख तक चैक द्वारा किया जावेगा।

22. वाहन चालक व अटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के पैकेट/क्रेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लांट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोशी कर्मचारी को ठेकेदार तुरन्त बदल देगा।

23. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक ..... से ठेके की अवधि .....के लिये प्रभावशाली रहेगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगें एवं अनुबंध समाप्त किये जाने पर ठेकेदार ऐसी संभावित के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
24. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ जबलपुर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
25. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा।
26. जबलपुर डेयरी की बकाया देय रकम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।
27. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित 20 किमी./घंटे की गति से ज्यादा गति से नहीं चलाये जावेंगे और न ही डेयरी की परिधि के अंदर वाहन की साफ–सफाई की जावेगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रति अवसर रूपये 200/– ठेकेदार पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
28. ठेकेदार द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहन की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता व्यक्त की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
29. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संध, जबलपुर को होगा।
30. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।
31. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कार्य भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर सुरक्षित रखता है।
32. वाहन परिवहनकर्त्ता को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली जो आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौत्री होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।
33. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख तक स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवें। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिये स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
34. यह अनुबंध दो वर्षो के लिये प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष कर अधिकतम तीन वर्षो हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

35. यदि ठेकेदार शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह के पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा एवं संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक वाहन चलाना होगा। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

36. ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये जबलपुर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण जबलपुर दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो ठेकेदार से वसूल की जाना है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

37. परिवहनकर्त्ता को परिवहन देयकों के साथ मार्ग के सभी वितरण केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन की दूध प्राप्ति विवरण एवं क्रेटों की आवक–जावक बकाया की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित सामग्री तथा सभी केन्द्रों को प्राप्त सामग्री में यदि भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी मात्रा की धनराशि परिवहनकर्त्ता के परिवहन देयकों/प्रतिभूति से कटौत्रा/वसूल की जावेगी।

38. वाहन ठेकेदार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का नाम मात्र सदस्य बनेगा, एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

39. अनुबंध के बीच अवधि में यदि डीजल, ऑयल की दरों में वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी परिवहन दरों में की जा जायेगी।

40. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कॉन्ट्रेक्टर को संबंधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित वाहन ठेकेदार की प्रतिभूति राशि/लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

41. साँची दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर बनाये रखने वास्ते इन्सयुलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करायेगें, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त हो जावेगा।

42. संघ यदि आपको परिवहनकर्त्ता वास्ते कार्य संपादन हेतु नियुक्त करता है तो आपको संघ हित में यह संघ निर्धारत लक्ष्यों के तहत् करना अनिवार्य होगा, यदि कार्य संपादन निरापित करने में आप सक्षम या संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो आपका परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिये आप स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन सह वितरण साँची दुग्ध/उत्पाद नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

43. यह कि दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा।

44. परिवहनकर्त्ता द्वारा अपने वाहन में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा जिसका मासिक किराया व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

45. आपातकालीन स्थिति यथा नदी नाले चढ़ने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

46. उपरोक्त अनुबंध की शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिये जावेगें वह वाहन ठेकेदार जो इस अनुबंध के भाग माने जावेगें।

अनुबंध की समस्त शर्ते दोनों पक्षों द्वारा पढ़ एवं समझ ली गयी हैं तथा दोनों पक्षों द्वारा पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिनांक ————————को अनुबंध हस्ताक्षरित किया है ताकि सनद रहे एवं समय काम आये।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर	हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष मेसर्स————————————
गवाहः (1) प्रथम पक्ष नामः———————————— पताः———————————— ———————————————— हस्ताक्षरः————————	गवाहः (1) द्वितीय पक्ष नामः———————————— पताः———————————— ———————————————— हस्ताक्षरः————————
गवाहः (2) प्रथम पक्ष नामः———————————— पताः———————————— ———————————————— हस्ताक्षरः————————	गवाहः (1) द्वितीय पक्ष नामः———————————— पताः———————————— ———————————————— हस्ताक्षरः————————

वितरक सह–परिवहनकर्त्ता अनुबंध (जबलपुर शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक ————————को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जायेगा एवं मेसर्स ———————————————————————————————— जबलपुर द्वारा पार्टनर श्री—————————————————— से बतौर दूध के वितरक सह परिवहनकर्त्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक ————————————— के लिये दिनांक ———————— से दिनांक ——————— तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह परिवहनकर्त्ता नाम से संबोधित किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह परिवहनकर्त्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह कह न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य करना नहीं चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक शिप छोडने बावद् देना होगा।
2. वितरक सह परिवहनकर्त्ता,दुग्ध संघ के पास राशि **रू.** ———————— **(शब्दों में** ————————————) नगद या डी.डी. राशि **रू.** ———————— **(शब्दों में** ————————————) की बैंक गारंटी या जबलपुर दुग्ध संघ के संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवायेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्र. ———————————————— पर स्थित साँची दूध/दुग्ध पदार्थ निर्धारित विक्रय केन्द्रों (जिनकी संख्या दुग्घ संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढा सकता है) पर साँची दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समायावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दूध/उत्पाद एफ.ओ.आर. डेयरी डॉक पर उसकी मांगानुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गडबडी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गडबडी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि़) की अनुपलब्धता, हडताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाना आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतत्र व कानूनी प्रक्रियाओ से परे होगा।
5. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, डेयरी डॉक से प्राप्त किये गये साँची दूध/उत्पादों का वितरण कार्य सिर्फ इन्सयूलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही करना वितरक के लिये अनिवार्य होगा।
6. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों की दूध एवं दुग्ध पदार्थो की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगे। एजेन्टों की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपने मर्जी से न घटायेंगे/न बढायेंगे।
7. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त दो लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। एक ही लेबर से लोडिंग/अनलोडिंग करते पाये जाने पर रू. 100/— दंड स्वरूप प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जावेगा।

8. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा।

9. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ को माल उठाते समय माल की राशि रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश के बाउंस होने पर दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के विरूद्ध बैंक खर्चे /राशि पर ब्याज आदि की वसूली कर पुनः उसी धनादेश के तहत् भुगतान प्राप्त कने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा रखी जमानत राशि/बैंक गारंटी/संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

10. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापिसी हेतु जबावदार होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक से क्रेटस/केन्स का राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. वितरक सह परिवहनकर्त्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदार व्यक्तिशः या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।

12. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करायेगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जावेगी।

13. वितरक सह परिवहनकर्त्ता के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनके विपणित की गई दूध की राशि का भुगतान वितरक को न किये जाने की स्थिति में वितरक दुग्ध संघ की सहमति से उस विक्रय केन्द्र प्रभारियों की जमानत राशि से दुग्ध संघ के लेखा का समाधान पश्चात् बची राशि में से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा।

14. समय–समय पर दुग्ध संघ वितरक को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देवेगा। जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह परिवहनकर्त्ता के लिये बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बावत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक परिवहनकर्त्ता बाध्य होगा।

15. वितरक सह परिवहनकर्त्ता वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टों के बीच उठे विवादों को वितरक अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा। ताकि विवाद न बढ पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।

16. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर कोई भी अन्य वितरक सह ठेकेदार अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर रू. 1000/– प्रतिदिन के हिसाव से दण्ड वसूल किया जावेगा एवं इसके बाद भी इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता की वितरक सह परिवहनकर्त्ता शिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।

17. वितरक सह परिवहनकर्त्ता से जो भी अर्थ दण्ड की राशि वसूल किया जाना अनुबंध की शर्तो में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक द्वारा संघ में रखे धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जावेगी।

18. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक वितरक सह परिवहनकर्त्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना किसी नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

19. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित संस्थाओं को उधारी में साँची दूध/उत्पाद प्रदाय वितरक सह परिवहनकर्त्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जबावदारी वितरक सह परिवहनकर्त्ता की होगी व संस्थाओं को प्रदाय पेटे का परिवहन देयक प्रस्तुत करना अनविार्य होगा।

20. वितरक सह परिवहनकर्त्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्धता करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेगा।

21. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनुबंध की कंड़िका क्रमांक 14 के तहत् कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

22. वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता का इन्सयुलेटेड वाहन स्वयं के नाम पंजीकृत होना अनिवार्य है।

23. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों से कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।

24. वितरक सह परिवहनकर्त्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक संध से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विकय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक का दायित्व होगा।

25. संघ द्वारा वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरण द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे संपूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रू. 200/– प्रतिदिन विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक दण्ड स्वरूप राशि संघ में जमा करनी होगी।

26. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संध में नियमित रूप से जमा करने होंगे। चालान संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/– प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।

27. यह कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी शीट चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार पाँच गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

28. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

29. संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगें, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेगें।

30. **यह कि मार्ग क्र** ----------------------------वितरक सह परिवहनकर्त्ता के रूप में रू.-------- पैसे प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे।

31. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह ठेकेदार की दरों में वृद्धि/ कमी अनुपातिक दर से की की जा सकेगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी को निविदा में वर्णित है, वाहन का प्रकार (टाटा 407 औसतम 10 किमी., टाटा 608/709 आयसर औसतन 6 किमी.) के आधार पर की जावेगी।

32. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर के न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह परिवहनकर्त्ता की आपसी रजामंदी के तहत् दिनांक ---------- निष्पादित किया गया।

33. यह अनुबंध दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढाई जा सकेगी।

34. यदि कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर का निर्णय अंतिम व दोनों पर बंधनकारी होगा।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
वितरक सह परिवहनकर्त्ता

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम--------------------
पता ------------------

गवाह के हस्ताक्षर

नाम...
पता...

गवाह के हस्ताक्षर

नाम...
पता...

उप महाप्रबंधक (विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक ——————————को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जायेगा एवं मेसर्स ———————————————————————————— जबलपुर द्वारा पार्टनर श्री———————————————— से बतौर दूध के वितरक सह परिवहनकर्त्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक ———————————————— के लिये दिनांक ———————— से दिनांक ———————— तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह परिवहनकर्त्ता नाम से संबोधित किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह परिवहनकर्त्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह कह न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य करना नहीं चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक शिप छोडने बावद् देना होगा।
2. वितरक सह परिवहनकर्त्ता,दुग्ध संघ के पास राशि **रू. ———————— (शब्दों में ————————————)** नगद या डी.डी. राशि **रू. ———————— (शब्दों में ————————————)** की बैंक गारंटी या जबलपुर दुग्ध संघ के संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवायेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्र. ———————————— पर स्थित साँची दूध/दुग्ध पदार्थ निर्धारित विक्रय केन्द्रों (जिनकी संख्या दुग्घ संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढा सकता है) पर साँची दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समायावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दूध/उत्पाद एफ.ओ.आर. डेयरी डॉक पर उसकी मांगानुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गडबडी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गडबडी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हडताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाना आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतत्र व कानूनी प्रक्रियाओ से परे होगा।
5. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, डेयरी डॉक से प्राप्त किये गये साँची दूध/उत्पादों का वितरण कार्य सिर्फ इन्सयूलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही करना वितरक के लिये अनिवार्य होगा।
6. वितरक सह परिवहनकर्त्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों की दूध एवं दुग्ध पदार्थो की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगे। एजेन्टों की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपने मर्जी से न घटायेंगे/न बढायेंगे।
7. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त दो लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। एक ही लेबर से लोडिंग/अनलोडिंग करते पाये जाने पर रू. 100/— दंड स्वरूप प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जावेगा।

8. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा।
9. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ को माल उठाते समय माल की राशि रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश के बाउंस होने पर दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी

कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के विरूद्ध बैंक खर्चे /राशि पर ब्याज आदि की वसूली कर पुनः उसी धनादेश के तहत् भुगतान प्राप्त कने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा रखी जमानत राशि/बैंक गारंटी/संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

10. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापिसी हेतु जबावदार होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक से क्रेटस/केन्स का राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. वितरक सह परिवहनकर्त्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदार व्यक्तिशः या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।
12. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करायेगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जावेगी।
13. वितरक सह परिवहनकर्त्ता के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनके विपणित की गई दूध की राशि का भुगतान वितरक को न किये जाने की स्थिति में वितरक दुग्ध संघ की सहमति से उस विक्रय केन्द्र प्रभारियों की जमानत राशि से दुग्ध संघ के लेखा का समाधान पश्चात् बची राशि में से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा।
14. समय–समय पर दुग्ध संघ वितरक को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देवेगा। जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह परिवहनकर्त्ता के लिये बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बावत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक परिवहनकर्त्ता बाध्य होगा।
15. वितरक सह परिवहनकर्त्ता वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टों के बीच उठे विवादों को वितरक अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा। ताकि विवाद न बढ पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
16. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर कोई भी अन्य वितरक सह ठेकेदार अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर रू. 1000/– प्रतिदिन के हिसाव से दण्ड वसूल किया जावेगा एवं इसके बाद भी इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता की वितरक सह परिवहनकर्त्ता शिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
17. वितरक सह परिवहनकर्त्ता से जो भी अर्थ दण्ड की राशि वसूल किया जाना अनुबंध की शर्तो में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक द्वारा संघ में रखे धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जावेगी।

18. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक वितरक सह परिवहनकर्त्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना किसी नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

19. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित संस्थाओं को उधारी में साँची दूध/उत्पाद प्रदाय वितरक सह परिवहनकर्त्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जबावदारी वितरक सह परिवहनकर्त्ता की होगी व संस्थाओं को प्रदाय पेटे का परिवहन देयक प्रस्तुत करना अनविार्य होगा।
20. वितरक सह परिवहनकर्त्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्धता करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेगा।
21. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनुबंध की कंड़िका क्रमांक 14 के तहत् कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
22. वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता का इन्सयुलेटेड वाहन स्वयं के नाम पंजीकृत होना अनिवार्य है।
23. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों से कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।
24. वितरक सह परिवहनकर्त्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक संध से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विकय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक का दायित्व होगा।
25. संघ द्वारा वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरण द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे संपूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रू. 200/– प्रतिदिन विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक दण्ड स्वरूप राशि संघ में जमा करनी होगी।

26. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संध में नियमित रूप से जमा करने होंगे। चालान संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/– प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।

27. यह कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी शीट चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी

दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार पाँच गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

28. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
29. संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगें, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेगें।
30. **यह कि मार्ग क** ————————————————————वितरक सह परिवहनकर्त्ता के रूप में रू.———————— पैसे प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे।
31. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह ठेकेदार की दरों में वृद्धि/ कमी अनुपातिक दर से की की जा सकेगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी को निविदा में वर्णित है, वाहन का प्रकार (टाटा 407 औसतम 10 किमी., टाटा 608/709 आयसर औसतन 6 किमी.) के आधार पर की जावेगी।
32. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर के न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह परिवहनकर्त्ता की आपसी रजामंदी के तहत् दिनांक ————————— निष्पादित किया गया।
33. यह अनुबंध दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढाई जा सकेगी।
34. यदि कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर का निर्णय अंतिम व दोनों पर बंधनकारी होगा।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
वितरक सह परिवहनकर्त्ता

नाम————————————————
पता ————————————————
————————————————————

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....
पता.....

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....
पता.....

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उप महाप्रबंधक (विपणन)

तकनीकी अर्हताऐं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज

1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की छायाप्रति।

तकनीकी अर्हताऐं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की

			छायाप्रति।